

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 1385 FP/UK/ROAD/31469/2018 दिनांक: देहरादून 27 नवम्बर, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत कर्णप्रयाग नौटी पैठाणी मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक
02.11.2018

महोदय,


विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 02-11-2018 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर एवं गढ़वाल वृत्त, पौड़ी से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	All documents are submitted in color photo copies.	प्रस्ताव में चार्ही गये सभी दस्तावेजों को मूल प्रति में पत्रांक 3041 दिनांक 09-05-2019 के द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।
2	Wrong KML file if found uploaded in place of proposed road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट I के क्र०सं० C(ii)-b में सही KML file अपलोड की गयी है।
3	Justification for locating the project in forest land is not C/S by DFO.	प्रस्तावक विभाग द्वारा Justification for locating the project in forest land पार्ट I के क्र०सं० D में अपलोड की गयी है।
4	Alternative examined is not C/S by DFO.	प्रस्तावक विभाग द्वारा Alternative examined का प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापन कर पार्ट I में अपलोड की गयी है।
5	Employment detail seems in correct.	प्रस्तावक विभाग द्वारा Employment detail को पार्ट I में संशोधन कर अपलोड की गयी है।
6	Forest land diverted is mentioned 0.134 ha in FRA certificate but proposal submitted for 0.860 ha.	प्रस्तावक विभाग द्वारा FRA certificate 0.86 हे० का तैयार कर पार्ट I के निर्धारित कॉलम में अपलोड किया गया है।
7	Area mentioned in NPV calculation sheet is 0.84 ha which incorrect.	प्रस्तावक विभाग द्वारा NPV Calculation को संशोधित कर पार्ट I एवं पार्ट II के पार्ट II के additional information में अपलोड किया गया है।
8	As per muck disposal plan Nap land taken for disposal but not mentioned in Component wise breakup.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग में RoW (Right of way) में पडने वाली भूमि का राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्री के पश्चात दाखिल खारिज किया जाता है। परन्तु मक डिस्पोजल हेतु भूमि के उपयोग हेतु सिर्फ दबान की धनराशि कास्तकारों को दी जाती है। इसलिए मक डिस्पोजल की भूमि निजी भूमि होने के कारण Component wise breakup में नहीं दर्शाया गया है।
9	The following documents to be submitted in original:-	उक्त दस्तावेजों को मूल प्रति में पत्रांक 3041 दिनांक 09-05-2019 के द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

	a- Undertaking to bear CA cost. b- Authority letter.	
10	Area is mentioned of fall in Kedarnath Wildlife Sanctuary. "State Govt. may submit the comments of CWLW and upload the same at designated place.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव निर्माण मार्गदर्शिका 2014 के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग की केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार से हवाई दूरी 10 किमी० होने के कारण प्रस्ताव में CWLW की संस्तुति लागू नहीं है।
11	Site Inspection report to be filled by DFO is not submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
12	Part II of the proposal to be filled by DFO is not submitted.	आनलाईन पार्ट II जिसे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा गया है, प्रेषित की जा रही है।
13	Plantation Scheme of 860 plants is required to be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा 860 वृक्षों के वृक्षारोपण का आगणत तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(डी०जे०के० शर्मा) 27/11/19

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

